POLITICAL SCIENCE Dept.
B.A. III (Hons.), Paper V

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College
Tajpur, Samastipur

सत्ता का प्रत्यायोजन (Delegation of Authority)

उच्चतर अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को अपने कार्यों का आंशिक भाग सौंप देना तथा इन सौंपे गए कार्यों को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक सत्ता भी सौंप देना ही सत्ता का प्रत्यायोजन कहलाता है। अधीनस्थ अधिकारी इन सौंपे गए कार्य के लिए उच्चतर अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार कार्य करने, निर्णय करने, सूचनाओं का संग्रह करने और दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार को एक अधिकारी द्वारा दूसरे को सौंपना ही सत्ता का प्रत्यायोजन है।

एलेन के अनुसार "प्रत्यायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अनुसरण एक प्रबन्धक अपने निर्धारित कार्यों को बाँटने के लिए करता है। इस प्रकार वह अपने पास केवल वे ही कार्य रखता है जिन्हें वह ही अपनी संगठनात्मक स्थिति के कारण प्रभावपूर्ण रूप से सम्पन्न कर सकता है।"

टैरी ने सत्ता के प्रत्यायोजन की भिन्न दृष्टिकोण से व्याख्या करते हुए कहा है कि "यह आवश्यक नहीं है कि सत्ता का प्रत्यायोजन उच्चाधिकारी द्वारा ही अपने अधीनस्थों को किया जाए। नीचे के पदाधिकारी भी ऊँचे पदाधिकारियों को सत्ता का प्रत्यायोजन कर सकते हैं। संगठन में सत्ता का प्रत्यायोजन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और बराबर वालों के बीच भी हो सकता है।